उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-35/2024/एस-2-352/दस-2024-178/2022

लखनऊः दिनांक : 14 मार्च, 2024

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2023 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति हेतु संस्तुत **श्री विजय शर्मा पुत्र श्री आर0एल0 शर्मा पता- बी0एच0 76, दीन दयाल नगर, जनपद ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474020** को सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह 'ख' में वेतनबैण्ड-3 रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध करने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

(1) **श्री शर्मा** आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के समक्ष निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण पत्रों सहित (02-02 प्रतियों में) प्रस्तुत करेंगेः-

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा

(ग) एक से अधिक पत्नी न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण पत्र।

(ड.) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्थाई सदस्य हों।

(च) निर्धारित प्रपत्र में अपने निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेटस एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।

(2) निदेशक, कोषागार **श्री शर्मा** की योगदान आख्या स्वीकार करने के पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेंगे तथा योगदान आख्या की प्रति उ0प्र0 शासन को भी उपलब्ध करायेंगे एवं **श्री शर्मा** को तत्काल प्रशिक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।

(3) उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(4) **श्री शर्मा** को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 के नियम-24(1) सपठित सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के नियम-4(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर संगत नियमावली की व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। वि

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

एवं लेखा सेवा संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(5) **श्री शर्मा** को उपर्युक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

(6) **श्री शर्मा** को प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ली जाने वाली निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उन्हें यह भली-भॉति ध्यान रखना होगा कि यदि वे नियमानुसार तीन अवसर दिये जाने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे अथवा उनके प्रशिक्षण से अथवा अन्य कारणो से यह ज्ञात हो कि वे नियमित संवर्ग में कोषाधिकारी/ लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं हैं, तो इस नियुक्ति को एक मास की नोटिस पर या उसके स्थान पर एक मास का वेतन देकर बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

(7) प्रशिक्षण अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति पर **श्री शर्मा** को उ0प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का कार्यभार सौंपा जायेगा। उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में उनकी सेवा शर्तें उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा नियमावली, 1992 (यथासंशोधित) के अनुसार निर्धारित होगी। प्रथम नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने हेतु की गयी यात्रा के लिए **श्री शर्मा** को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) प्रशिक्षण की अवधि में **श्री शर्मा** के वेतन एवं भत्तों का भुगतान निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

<u>पत्र संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-493/01/ई-3/2023-24, दिनांक 19.02.2024 के सन्दर्भ में।
4- विशेष सचिव, कार्मिक अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ ।
9- अभ्यर्थी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु ।
10- **श्री विजय शर्मा पुत्र श्री आर0एल0 शर्मा पता- बी0एच0 76, दीन दयाल नगर, जनपद ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474020**
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजीव सिंह)
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।